इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

महत्वपूर्ण घटनाओं या सूचना के प्रकटन पर नीति

1. परिचय

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची के भाग-क तथा भाग-ख के साथ पठित विनियम-30 में विनिर्दिष्ट अनुसार इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे "कंपनी" या "इरकॉन" कहा जाएगा) की घटनाओं और सूचना की महत्ता का निर्धारण करने से संबंधित हैं।

2. प्रयोजन

इस नीति का आशय घटनाओं/सूचना के प्रकटन पर इरकॉन की नीति को परिभाषित करना और इरकॉन में कार्यरत निदेशक मंडल, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा अन्य कार्यपालक एवं स्टाफ को ऐसी घटनाओं/सूचनाओं के सार्वजनिक प्रकटन में अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में निर्णय लेने है, जो कंपनी के निष्पादन और तत्पश्चात कंपनी के शेयर मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्राभावित करते हैं।

यह नीति ऐसी सूचना/घटनाओं के सुव्यवस्थित चिह्नन, श्रेणीकरण, समीक्षा, प्रकटन के प्रयोजन से तैयार की गई है, जो महत्वपूर्ण माने गए हैं या नहीं, किन्तु जिनका कंपनी के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है और जो कंपनी के शेयर मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और तदनुसार वेबसाइट को अद्यतन किया जाता है।

3. परिभाषा

i. "**अधिग्रहण**" सूचीकरण विनियमों की अनुसूची-।।। के भाग (क) के भाग (क) के उप-पैरा (1) में परिभाषित अनुसार इसका अर्थ निम्नानुसार है:

i. नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष; या

ii. कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण या वोटिंग अधिकार प्राप्त करना या प्राप्त करने की सहमति देना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष; या

(क) कंपनी उक्त कंपनी में शेयरों और वेटिंग अधिकार के पांच प्रतिशत या अधिक के समग्र शेयर या वोटिंग अधिकार धारित करती है।

(ख) इस उपपैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii)क उपखंड (क) के अंतर्गत किए गए अंतिम प्रकटन से शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में शेयरधारिता या वोटिंग अधिकार के दो प्रातिशत से अधिक का है।

ii. **"अधिनियम"** से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम एवं इसमें किसी प्रकार के आशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्रण एवं पुन:निर्धारण से है।

iii. "**करार"** में शामिल हैं, शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, पारिवारिक निपटान करार, जिस स्तर तक कंपनी या करार के प्रबंधन या नियंत्रण पर कुछ प्रभाव पड़ता है, मीडिया कंपनियों के साथ समझौता या संविदा, जो बाध्यकारी हैं व व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं तथा इनमें कोई आशोधन (आशोधनों), संशोधन (संशोधनों), तथा समापन (समापनों) को शामिल किया गया है।

iv. **"लागू कानून"** से तात्पर्य किसी कानून, नियमों, विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों या मानकों से है, जिसके आधार पर घटनाओं और सूचना की महत्ता का निर्धारण किया जाता है।

v. **"बोर्ड"** से तात्पर्य समय-समय पर यथा गठित निदेशक मंडल से है।

vi. "**अनुपालन अधिकारी**" से तात्पर्य कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव या निदेशक मंडल द्वारा नामित तथा निदेशक मंडल को रिपोर्ट करने वाला कोई अन्य व्यक्ति और जो कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, रिकार्डों के अनुरक्षण, घटनाओं या सूचना की महत्ता का निर्धारण करने के लिए नियमों के अनुपालन की मॉनीटरिंग, व्यापारों की मॉनीटरिंग तथा सेबी (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कोडों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

vii. "**सूचना**" से तात्पर्य कंपनी से संबंधित उस सूचना से है, जिसका एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के मतानुसार कंपनी की प्रतिभूतियों की कीमत और मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और सूचना, जिसके कारण कंपना की प्रतिभूति का मूल्य, उसके वर्तमान मूल्य पर या उसके आसपास ही बना रहेगा, जबकि अन्यथा सामान्य रूप से बाजार के मूल्य संचलन के दृष्टिगत उसकी किसी विशिष्ट दिशा में महत्वपूर्ण रूप से गतिविधि की उम्मीद होती।

viii. **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(51) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से है।

ix. **"सूचीकरण विनियम"** से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित से है।

x. **"महत्व" या "महत्ता**" में वे घटनाएं या सूचना शामिल है, जो कंपनी के कार्यनिष्पादन या कंपनी के शेयर मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

xi. **"प्रतिभूतियां"** से तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम**,** 1956 की धारा-2 के खंड-(ज) में परिभाषित प्रतिभूतियों से है।

xii. **"स्टॉक एक्सचेंज"** से तात्पर्य भारत के स्टॉक एक्सचेंजों से है, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

xiii. **"सहायक कंपनी"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा-2(87) के अंतर्गत परिभाषित अनुसार सहायक कंपनी से है।

xiv. **"अन्य घटनाएं"** से तात्पर्य उन घटनाओं और सूचना से है, जो सूचीकरण विनियमों की अनुसूची-।।। के भाग-क के भाग-ख में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के आधार पर महत्ता का निर्धारण करती है।

इस नीति में प्रयुक्त सभी अन्य शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जबतक कि अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, का वही अर्थ होगा, जो उन्हें क्रमश: सूचीकरण अधिनियमों में निर्धारित किया गया है और इनकी परिभाषा या इसमें स्पष्टीकरण के अभाव में, अधिनियम तथा इसमें किसी सांविधिक आशोधन या अधिनियमन तथा बनाए व जारी नियमों, अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों, समय-समय पर यथा संधोधित के अनुसार होगा।

महत्ता का निर्धारण करने के लिए दिशानिर्देश

4.1 निम्नलिखित घटनाओं को महत्वपूर्ण घटनाएं समझा जाए, जिन्हें बोर्ड की बैठक के समापन से 30 मिनटों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाएगा:

(क) संस्तुत और घोषित लाभांश तथा या/रोकड़ बोनस या किसी लाभांश को पारित करने का निर्माण तथा लाभांश का भुगतान/प्रेषित करने की तिथि;

(ख) लाभांश को रद्द करने की काई घटना और रद्द किए जाने के कारण;

(ग) प्रतिभूतियों के बायबैक का निर्णय;

(घ) प्रस्तावित निधि एकत्र करने के संबंध में निर्णय;

(ङ) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों के इश्यु द्वारा पूंजी में वृद्धि तथा बोनस शेयरों के क्रेडिट करने/प्रेषित करने की तिथि।

(च) जब्त शेयरों या प्रतिभूतियों को पुन:जारी करना, या आरक्षित जब्त इश्यु में धारित शेयरों या प्रतिभूतियों का इश्यु या किसी प्रकार या रूप में नए शेयरों या प्रतिभूतियों या किसी अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ हेतु;

(छ) कॉल सहित पूंजी में किसी अन्य प्रकार के परिवर्तन का अल्प विवरण;

(ज) स्टॉक एक्सचेंजों से इरकॉन द्वारा स्वैच्छिक विसूचीकरण का निर्णय; तथा

(झ) अंतिम परिणाम

4.2 निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को महत्ता के किसी परीक्षण के बिना स्टॉक एक्सचेंजों को अनिवार्य रूप से प्रकट किया जाएगा (घटना की आवृत्ति से 24 घंटों के भीतर):

1. इरकॉन की किसी इकाई (इकाइयों), प्रभाग (प्रभागों) या सहायक कंपनी का अधिग्रहण (अधिग्रहणों) (अधिग्रहण के करार सहित), व्यवस्था की योजना (समामेलन/विल/अविलय/पुनर्संरचना), या बिक्री या निपटान या कोई अन्य पुनर्संरचना;

स्पीष्टीकरण– इस उपपैरा के प्रयोजन हेतु, शब्द "**अधिग्रहण**" से तात्पर्य है:

i. नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष; या

ii. कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण या वोटिंग अधिकार प्राप्त करना या प्राप्त करने की सहमति देना, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष; या

(क) कंपनी उक्त कंपनी में शेयरों और वेटिंग अधिकार के पांच प्रतिशत या अधिक के समग्र शेयर या वोटिंग अधिकार धारित करती है।

(ख) इस उपपैरा के स्पष्टीकरण के खंड-(ii)क उपखंड-(क) के अंतर्गत किए गए अंतिम प्रकटन से शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है और ऐसा परिवर्तन उक्त कंपनी में कुल शेयरधारिता या वोटिंग अधिकार के दो प्रातिशत से अधिक का है।

2. प्रतिभूतियों को जारी करना या कब्जे में लेना, शेयरों का विघटन या समेकन। प्रतिभूतियों का बायबैक, कब्जा सहित कब्जा की गई प्रतिभूतियों को पुन: जारी करने, कॉलों में परिवर्तन, प्रतिभूतियों के रिडम्पशन आदि सहित मौजूदा प्रतिभूतियों की संरचना में परिवर्तन या प्रतिभूतियों की अंतरणीयता पर कोई प्रतिबंध, आदि।

3. क्रेडिट रेटिंग (रेटिंगों) में संशोधन;

4. करार (शेयरधारक करार(रों), संयुक्त उद्यम करार(रों), पारिवारिक निपटान करार(रों), जिस स्तर तक कंपनी या करार(रों) के प्रबंधन या नियंत्रण पर कुछ प्रभाव पड़ता है, मीडिया कंपनियों के साथ समझौता(तों) या संविदा(ओं), जो बाध्यकारी हैं और व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में नहीं हैं तथा इनमें कोई आशोधन (आशोधनों), संशोधन (संशोधनों), तथा समापन (समापनों) को शामिल किया गया है।

5. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी/चूक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की गिरफ्तारी;

6. निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, सांविधिक लेखापरीक्षक तथा/या अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन,

6क. लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र तथा त्यागपत्र का विस्तृत कारण;

6ख. उक्त निदेशक द्वारा प्रस्तुत अनुसार स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र का विस्तृत कारण सहित इस बात की पुष्टि कि उपलब्ध कारण के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है, जिसे त्यागपत्र की तिथ से सात दिनों के भीतर प्रकट किया जाएगा।

7. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति या विराम;

8. निगमित ऋण पुनर्संरचना;

9. बैंक के साथ एकमुश्त निपटान;

10. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना के लिए बोर्ड को संदर्भ और किसी पक्ष/ ऋणदाताओं द्वारा दायर याचिका का निपटान;
11. शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों, ऋणदाताओं या उनकी किसी श्रेणी को भेजे गए नोटिस, कॉल पत्र, संकल्प परिपत्र को जारी करना तथा इरकॉन द्वारा मीडिया में विज्ञापित करना;
12. इरकॉन की वार्षिक तथा असाधारण सामान्य बैठकों की कार्यविधियां।
13. इरकॉन के कार्यालय ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में संशोधनों का सार;
14. विश्लेषक या संस्थागत निवेशक बैठक की अनुसूची तथा विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों के लिए इरकॉन द्वारा तैयार वित्तीय परिणामों पर प्रस्तुतीकरण: और
15. दिवाला कोड के अंतर्गत सूचीबद्ध निगमित कर्जदारों की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित घटनाएं:
    (क) सीआईआरपी आरंभ करने के लिए निगमित आवेदन द्वारा आवेदन दायर किया जाएगा, जिसमें चूक की राशि का उल्लेख भी होगा;
    (ख) सीआईआरपी आरंभ करने के लिए वित्तीय ऋणदाता द्वारा निगमित देनदार के विरूद्ध आवेदन दायर किया जाएगा, जिसमें चूक की राशि का उल्लेख भी होगा;
    (ग) अधिकरण द्वारा चूक की राशि सहित आवेदन को स्वीकार करना या अस्वीकार करना या वापस लिया जाना, जो भी लागू हो;
    (घ) दिवाला कोड की धारा-13 के अंतर्गत अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में जन घोषणा;
    (ड.) आईबीबीआई (निगमित व्यक्ति के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में विनियम-13(2)(ग) के अंतर्गत निगमित देनदार द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले यथापेक्षित ऋणदाताओं की सूची;
    (च) समाधान पेशेवरों की नियुक्ति प्रतिस्थापन;
    (छ) ऋणदाताओं की समिति की बैठक की पूर्व या कार्योत्तर सूचना;
    (ज) आईबीबीआई (निगमित व्यक्ति के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में विनियम 36क(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म में दिवाला कोर्ड की धारा-25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान योजनाओं के आमंत्रण का संक्षिप्त विवरण।
    (झ) समाधान पेशेवरों द्वारा प्राप्त समाधान योजनाओं की संख्या:
    (त) अधिकरण में समाधान योजना को दायर करना;
    (थ) अधिकरण द्वारा समाधान योजना को स्वीकार या अस्वीकार करना, यदि लागू हो;

(द) अधिकरण द्वारा स्वीकृत समाधान योजना की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें वाणिज्यिक गोपनीयता शामिल नहीं हैं, ऐसे रूप में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ध) कोई अन्य सूचना, जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता शामिल नहीं है।"

16. प्रमोटर/जनसाधारण के रूप में किसी व्यक्ति के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा:

(क) पुनर्वर्गीकरण की वांछा करने वाले प्रमोटर (प्रमोटरों) से कंपनी द्वारा पुनर्वर्गीकरण हेतु अनुरोध की प्राप्ति।

(ख) ऐसे अनुरोध पर विचार करने वाली बोर्ड बैठक के कार्यवृत्ति, जिसमें अनरोध करने पर बोर्ड के दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा।

(ग) स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीबद्ध निकाय द्वारा प्रमोटर/जनसाधारण के रूप में स्थिति के पुनर्वर्गीकरण के आवेदन को प्रस्तुत करना;

(घ) कंपनी को सम्प्रेषित अनुसार ऐसे आवेदनों पर स्टॉक एक्सचेंजों का निर्णय।

4.3 <u>अन्य घटनाएं जिन्हें महत्ता के दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग पर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट की जाने वाली अन्य घटनाएं (घटना की आवृत्ति से 24 घंटों के भीतर):</u>

1. किसी इकाई/प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालनों को आरंभ करने की तिथि या कोई स्थगन।
2. नीतिगत, तकनीकी, विनिर्माण, या विपणन गठजोड़ के लिए व्यवस्थाओं को लागू करने, नए व्यवसाय को आरंभ करने या किसी इकाई/प्रभाग (सम्पूर्ण रूप से या अंशों में) प्रचालन बंद होने के कारण व्यवसाय की सामान्य विशेषताओं या प्रकृति में परिवर्तन।
3. क्षमता संवर्धन एवं उत्पाद लांच करना;
4. आर्डरों/संविदाओं को प्रदान करना, लेना/प्राप्त करना, संशोधन या समापन, जो व्यवसाय की समान्य प्रक्रिया में नहीं है।
5. करार (यथा ऋण करार (करारों))(कर्जदारों के रूप में), जो बाध्यकारी हैं या व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में नहीं है और इसमें संशोधन (संशोधनों) या आशोधन (आशोधनों) या समापन (समापनों) शामिल हैं
6. प्राकृतिक आपदा (भूकम्प, बाड़, अग्नि आदि), अप्रत्याशित घटना या घटनाओं के कारण इरकॉन की किसी एक या अधिक इकाइयों के प्रचालनों में अवरोध या हड़ताल, लौकआउट आदि जैसी घटनाएं।

7. इरकॉन पर लागू विनियामक फ्रेमवर्क में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रभाव।
8. मुकदमा(मुकदमों) या विवाद (विवादों) या विनियामक कार्रवाई (कार्रवाइयां) और इनके प्रभाव;
9. इरकॉन के निदेशक (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक) या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी /चूक।
10. इस संबंध में सरकार द्वारा इरकॉन को स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात किसी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना का क्रियान्वयन तथा इस विधि को बोर्ड द्वारा स्वीकृत करना।
11. तीसरे पक्ष के लिए गारंटियां या शपतपत्र देना या साक्षी बनना।
12. प्रमुख लाइसेंस या विनियामक स्वीकृतियां प्रदान करना, वापस लेना, सरैंडर करना, रद्द करना या निलंबित करना।
13. कोई अन्य सूचना/घटना यथा प्रमुख गतिविधि, जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है, जैसे नई प्रौद्योगिकियों की उत्पत्ति, पेटेंटों का समापन, लेखांकन नीति में कोई परिवर्तन जो लेखों, आदि में महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इनका संक्षिप्त ब्यौरा तथा कोई अन्य सूचना, जो विशिष्ट रूप से इरकॉन को ज्ञात है और जो इरकॉन की प्रतिभूतियों के धारक के लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है और ऐसी प्रतिभूतियों के कृत्रिम बाजार के निर्धारण से बचने के लिए आवश्यक है।

4.2(क)कंपनी के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कब कोई घटना/या सूचना को घटित कहा जाए।

(ख**)** कुछ मामलों में**,** उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर चर्चा**,** वार्ता या स्वीकृति के स्तर या अन्य घटनाओं पर निर्भर करता है जहां ऐसी कोई चर्चा**,** वार्ता या स्वीकृति अपेक्षित नहीं है जैसे प्राकृति आपदाओं**,** अवरोधों आदि के मामले में**,** उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर इस समय पर निर्भर करता हे जब सूचीबद्ध निकाय को उक्त घटना/सूचना का पता चलता है।

पूर्व की स्थिति में, घटनाओं/सूचना को निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद घटित कहा जा सकता है उदाहरण के लिए राइट् जारीकर्ता द्वारा और पूंजी

जारी करना और कुछ मामलों में निदेशक मंडल और शेयरधारकों, दोनों के अनुमोदन के पश्चात की घटनाएं/सूचना।

तथापि, शामिल मूल्य संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, कुछ घटनाओं यथा लाभांश की घोषणा का निर्णय आदि के लिए प्रकटन निदेशक मंडल द्वारा घटना की स्वीकृति, लंबित शेयरधारक स्वीकृति की प्राप्त पर किया जाएगा।

बाद के मामले में, घटनाओं/सूचवनाओं को घटित कहा जा सकता है, जब सूचीबद्ध निकाय को उक्त घटनाओं/सूचना की जानकारी प्राप्त होती है, या जैसे ही निकाय का अधिकारी को उनके दायित्वों के निष्पादन की प्रक्रिया में युक्तिसंगत रूप से सूचना प्राप्त होती है।

शब्द "अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित के समान होगा और इसमें सूचीबद्ध निकाय का प्रमोटर भी शामिल होगा।

महत्ता का निर्धारण

5.1 खंड 4 में निर्धारित घटना/सूचना के अतिरिक्त, कंपनी समय समय पर सेबी/स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्यस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को घटना/सूचना का प्रकटन करेगी। महत्ता का निर्धारण सूचना या घटना से संबंधित विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाएगी। यह निर्धारित करने के लिए कि एक विशिष्ट घटना या सूचना प्रकृति में महत्वपूर्ण है, बोर्ड नीचे उल्लखित "मात्रात्मक" या "गुणात्मक" मापदंडों पर विचार करेगा।

क **गुणात्मक मापदंड**

महत्ता किसी घटना या सूचना पर लागू होगी, जहां संबंधित मूल्य या प्रभाव इरकॉन की अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/इरकॉन के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों, जो लागू हो, के आधार पर निवल राजस्व का 7 प्रतिशत या निवल परिसंपत्ति का 7 प्रतिशत, जो कोई भी कम हो।

ख **मात्रात्मक मापदंड**

महत्ता निम्नलिखित घटना या सूचना पर लागू होगी:

(क) यदि जिसकी विच्छिन्नता के परिणामस्वरूप पहले से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध घटना या सूचना के समाप्त होने या परिवर्तित होने की संभावना है, या

(ख) यदि जिसकी विच्छिन्नता के परिणामस्वरूप बाजार में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की संभावना हो, यदि उक्त विच्छिन्नता बाद की तिथि में प्रकट होती है, या

(ग) यदि इरकॉन के निदेशक मंडल के मतानुसर, वह घटना या सूचना महत्वपूर्ण समझी जाए, या

(घ) कोई अन्य सूचना/घटना जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना माना जाए।

5.2 ऐसी परिस्थितियों में जहां मात्रात्मक परीक्षण लागू नहीं होता है वहां महत्ता का निर्धारण करने के लिए गुणात्मक परीक्षण लागू किया जाएगा।

6. घटना/सूचना की महत्ता का निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा महत्पवूर्ण सूचना का निर्धारण

सूचीकरण विनियमों के विनियम-30 (5) के अंतर्गत यथापेक्षित, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) घटना/सूचना तथा स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट की जाने वाली गतिविधि की महत्ता का निर्धारण करने के लिए संयुक्त रूप से सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. प्रकटन की प्रक्रिया

संबंधित क्रियात्मक प्रमुख/परियोजना समन्वयक या संबंधित क्रियात्मक प्रमुख द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति संबंधित क्रियात्मक निदेशक के परामर्श से एक मैसौदा तैयार करेगा, जिसे निदेशक (वित्त) या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की स्वीकृति के लिए कंपनी सचिव/अनुपालन अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा। इस मसौदे में सूचीकरण विनियम तथा सेबी द्वारा जारी दिनांक 9 सितंबर 2015 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/4/2015 (अनुबंध-1) और समय-समय पर यथा संधोधित या किसी अन्य सांविधि द्वारा यथापेक्षित सूचना समाविष्ट होगी, जो कि निवेशकों को निवेश के संबंध में सुज्ञात निर्णय लेने के लिए आवश्यक होगी। कंपनी के सभी विभाग/परियोजना प्रमुख/परियोजना समन्वयक या संबंधित निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित समय के भीतर नीति के अनुसार प्रकटन करें। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात, कंपनी सचिव/अनुपालन अधिकारी

द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटन किया जाएगा और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

8 दस्तावेजों का प्रतिधारण

कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटन करेगी, जिसका प्रकटन स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है और ऐसे प्रकटन कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए रहेंगे, और तत्पश्चात कंपनी की आर्काइव नीति के अनुसार।

9 संशोधन

निदेशक मंडल अधिनियिम या सांविधि की अपेक्षा के अनुसार समय-समय पर इस नीति की, समग्र रूप से या अंश रूप में समीक्षा या संशोधन कर सकता है। तथापि, सूचीकरण विनियमों या किसी सांविधिक अधिनियमन के अनुपालन की अपेक्षा के अनुसार नीति में कोई संशोधन करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शक्तिप्रदत्त है।

10 विवेचन

किसी भी परिस्थिति में यदि इस नीति की शर्तें कंपनी को शासित करने वाले किसी लागू कानून या प्रक्रियाओं से भिन्न हैं तो, ऐसे लागू कानून को इस नीति के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जबतक कि इस नीति में उस लागू कानून के अनुरूप परिवर्तन नहीं किया जाता है।

****